रैग्यूलर फौजदारी प्रकरण संख्या :–460 / 2000
राजस्थान राज्य बनाम बाबूलाल वगैरह
अपराध धारा– 379 भा0दं0सं0
निर्णय दिनांकः 13.05.2022

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट किशनगंज, जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रचना वैष्णव, आर.जे.एस.

रैग्यूलर फौजदारी प्रकरण संख्या :– 460 / 2000
सी.आई.एस. नंबर – 100460 / 2000

राजस्थान राज्य

––––––अभियोजन

बनाम

1– बाबूलाल पुत्र घासीलाल जाति सहरिया निवासी पीपलोद पुलिस थाना अटरू, जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 05.04.2013)**
2– मथुरालाल पुत्र लटूरलाल जाति सहरिया निवासी जलवाडा पुलिस थाना नाहरगढ, जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 05.04.2013)**
3– दुर्गाशंकर पुत्र घूलीलाल जाति जागा निवासी माथनी पुलिस थाना बारां सदर, जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 05.04.2013)**
4– देवकरण पुत्र रामप्रसाद जाति जागा निवासी खेडाबमोरी पुलिस थाना आयाना, जिला कोटा राज0 **(निर्णय दिनांक 05.04.2013)**
5– रामलाल पुत्र ग्यारसीराम जाति सहरिया निवासी जलवाडा पुलिस थाना नाहरगढ़, जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 05.04.2013)**
6– रामभरोस पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी पीपलोद पुलिस थाना अटरू, जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 05.04.2013)**
7– गेन्दीलाल पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी पाटनखेडा पुलिस थाना इकलेरा, जिला झालावाड़ राज0 **(निर्णय दिनांक 05.04.2013)**
8– बाबूलाल पुत्र ग्यारसीराम जाति सहरिया निवासी पीपलोद पुलिस थाना अटरू, जिला बारां राज0 **(निर्णय दिनांक 05.04.2013)**
9– हेमराज पुत्र देवीलाल जाति बैरवा निवासी पीपलोद पुलिस थाना अटरू, जिला बारां राज0 **(फौत कार्यवाही ड्रॉप दिनांक – 07.07.08)**
10– भंवरलाल पुत्र रामलाल जाति सहरिया निवासी पीपलोद पुलिस थाना अटरू, जिला बारां राज0 **(फौत कार्यवाही ड्रॉप दिनांक – 03.05.10)**
11–पंखीलाल पुत्र जयलाल जाति मीणा निवासी आगेडी पुलिस थाना कोतवाली करौली, जिला करौली राज0 **(निर्णय दिनांक 28.06.2017)**
12– भरोसीलाल पुत्र लोडक्या जाति जागा निवासी खण्डीप पुलिस थाना वजीरपुर, जिला बारां राज0 **(मफरूर –दिनांक 07.07.08)**
13–बत्तीलाल पुत्र जोहरीलाल जाति मीणा निवासी खण्डीप पुलिस थाना वजीपुर, जिला सवाईमाधोपुर राज0

.....अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा– 379 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–
01– सहायक अभियोजन अधिकारी, वास्ते अभियोजन।
02– श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं श्री श्याम पालीवाल विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्त बत्तीलाल की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांकः 13.05.2022**

प्रकरण में सहअभियुक्तगण भरोसीलाल को न्यायालय द्वारा मफरूर घोषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण बाबूलाल, मथुरालाल, दुर्गाशंकर, देवकरण, रामलाल, रामभरोस, गेंदीलाल, बाबूलाल पुत्र ग्यारसीराम का निर्णय पूर्व में दिनांक 05.04.2013 को तथा अभियुक्त पंखीलाल का निर्णय दिनांक 28.06.2017 को हो चुका है। अभियुक्तगण हेमराज एवं भंवरलाल की मृत्यु होने से पूर्व में कार्यवाही ड्रॉप हो चुकी है। अतः अब अभियुक्त बत्तीलाल की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

(रचना वैष्णव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज जिला बारां(राज0)

संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार से है कि दिनांक 27.03.2000 को जानकीलाल ने उप0 थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि रात के 11 बजे के करीबन हनुमान जी की छीतरी के पास में चार पांच आदमी खडे थे जिनके हाथ में धारिया, तलवारे थीं। मैंने उनको टोका तो नहीं बोले फिर गांव के 14–15 आदमी गये तो उन्होंने कहा कि पूजा करने आये हैं। वह आदमी ग्राम रामपुरा के दयाकिशन, ओमप्रकाश, कारठ, द्वारकीलाल का लड़का आदि सभी थे जो माली थे। हमने उस वक्त देखा तो दो मूर्तियां साधारण पत्थर की शीतला माता की व दो मूर्तियां छोटी नही मिली..... इत्यादि।

उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नाहरगढ़ में मुकदमा नं. 39 / 2000 अंतर्गत धारा 379 भा0द0स0 में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण बाबूलाल पुत्र घासीलाल, भंवरलाल पुत्र रामलाल, मथुरालाल पुत्र लटूरलाल के विरूद्ध 379 भा0द0स0 के अपराध के संबंध में आरोप पत्र एवं फराफ चल रहे मुलजिमान हेमराज पुत्र देवीलाल, बाबूलाल पुत्र ग्यारसीराम, रामलाल पुत्र ग्यारसीराम, देवकरण पुत्र रामप्रसाद, दुर्गाशंकर पुत्र धूलीलाल, रामभरोस पुत्र देवीलाल, भरोसलाल पुत्र लोडक्या, गेंदीलाल पुत्र कन्हैयालाल, बत्तीलाल पुत्र जोहरी लाल के विरूद्ध अदम गिरफ्तारी की सूरत में 173 (8) सीआरपीसी का आरोप पत्र पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित फौजदारी किया गया।

अभियुक्त बत्तीलाल को जुर्म धारा 379 के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन पक्ष ने अपने समर्थन में गवाह पी.ड. 1 नंदकिशोर, पी.ड. 2 जानकीलाल, पी.ड. 3 हीरालाल, पी.ड.4 कोमलप्रसाद, पी.ड. 5 कोमलप्रसाद, पी.ड. 6 शिवराजसिंह, पी.ड. 7रूपनारायण, पी.ड. 8 हीराचन्द, पी.ड. 9 किरतार सिंह, पी.ड. 10 नेक मोहम्मद, पी.ड. 11 रामप्रसाद पी.ड. 12 बृजराज सिंह को परीक्षित कराया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी. 1 से लगायत प्रदर्श पी. 11 तक दस्तावेजात को प्रदर्शित कराया गया।

अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0स0 लिये गये तो उसने समस्त साक्ष्य को गलत बताया और साक्ष्य प्रतिरक्षा में केवल मात्र यह कथन किया कि उसे झूठा फंसाया है, वह निर्दोष है।

बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न इस प्रकार से है कि दिनांक 26.03.2000 की रात्रि को अभियुक्त प्रीतमपुरा में हनुमान जी की छतरी के पास स्थित शीतलामाता की मूर्तियों को बदनियतिपूर्वक चुरा कर ले गया ? यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार होगा ?

उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य का मूल्यांकन करें तो गवाह पी.ड. 1 नंदकिशोर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से 13–14 साल पहले पीतामपुरा गांव के मंदिर से शीतलादेवी की पत्थर की मूर्ति चोरी हो गयी थी जिस बाबत इन्होंने थाना नाहरगढ़ में रिपोर्ट करायी थी। नक्शामौका प्रदर्श पी. 3 पर इसके हस्ताक्षर हैं जो पुलिस ने इस मुकदमे के सिलसिले में कराये थे। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श पी. 3 नक्शामौका पर उसके हस्ताक्षर थाने में करवाये थे।

गवाह पी.ड. 2 जानकीलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि करीब 14–15 साल पहले पीतामपुरा गांव के मंदिर से शीतलामाता की पत्थर की मूर्ति चोरी हो गयी थी। रात को मूर्तियां चोरी हो गई थी, दूसरे दिन शीतलाष्टमी थी, औरतें पूजा के लिए गयी तो मंदिर में मूर्तियां नहीं होने की बात बताई। तब रामपुरा के 4–5 लोगों पर शंका हुई जिसकी रिपोर्ट दर्ज करायी। रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 है। चोरी गयी मूर्तियां बरामद हो गई थी। मूर्तियों की इससे नाहरगढ़ में शिनाख्त करवाई थी। फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी. 4 है। शिनाख्तगी के वक्त इसने चोरी गयी मूर्तियों को मंदिर की होना पहचान लिया था। उक्त सभी पर इसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि गांव रामपुरा व पीतामपुरा पास–पास हैं। हनुमानजी व शीतलामाता की मूर्ति एक

स्थान पर है। वह यह नहीं कह सकता कि चोरी के एक दिन पहले रामपुरा के व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करने आये हो। मूर्ति शिनाख्त के वक्त गांव के 4–5 व्यक्ति व थानाधिकारी थे।

गवाह पी.ड. 3 हीरालाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से 14–15 साल पहले इनके गांव के मंदिर से शीतलामाता की मूर्ति चोरी हो गयी थी जिसकी रिपोर्ट कराई थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शामौका पी. 3 बनाया था जिस पर इसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया कि नक्शामौका प्रदर्श पी. 3 पर उसके हस्ताक्षर बिना पढ़े किये थे। जिस पर करीब एक महीने बाद पुलिस ने हस्ताक्षर कराये थे।

गवाह पी.ड. 4 कोमलप्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वर्ष 2000 में ग्राम पंचायत नाहरगढ़ में सरपंच के पद पर तैनात था। उस समय थानाधिकारी दो मूर्ति मय मुलजिम के इसके सामने लेकर आये थे। इसके द्वारा शिनाख्त करवाई थी। फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी. 4 है जिस पर इसके हस्ताक्षर हैं। अदालत में मौजूद मूर्तियां वही हैं जो पुलिस लाई थी। जिनकी शिनाख्तगी कार्यवाही इसके सामने हुई थी। मूर्तियां आर्टीकल्स 01 व 02 है। कार्यवाही शिनाख्तगी प्रदर्श पी. 4 पर एक्स स्थान पर सरपंच ग्राम पंचायत नाहरगढ़ की सील अंकित है। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया कि यह सही है कि वह हिन्दु समाज की मूर्तियों को पहचानता है। गवाह के अनुसार एक मूर्ति शीतलामाता की है तथा दूसरी का सिर टूटा होने से वह किसकी है, यह नहीं बता सकता। यह भी नहीं बता सकता कि आर्टीकल–1 की मूर्ति विष्णु भगवान की है या शीतलामाता की। आर्टीकल–2 की मूर्ति में से एक का सिर खण्डित है। शिनाख्तगी के समय थानेदार साहब मौजूद थे। 5–6 मूर्तियां लायी गयी थी। जिनमें से दो मूर्तियां खुली हुयी थी तथा अन्य मूर्तियां छोटी–छोटी कपड़े में थी। दो मूर्तियां पत्थर की थी। फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी. 4 उसके द्वारा लिखी हुयी नहीं है। पुलिस ने उससे हस्ताक्षर और सील के लिए कहा था तो उसने सील लगाकर हस्ताक्षर किये थे। कार्यवाही शिनाख्तगी उसके कहेनुसार अधीनस्थ कर्मचारी ने लिखी थी।

गवाह पी.ड.5 गोपीचंद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 20.05.2000 को थाना उद्योग नगर कोटा शहर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन गश्त करते हुये मय जाप्ता भडकियाखाल की तरफ पहुंचा। उसी समय चौका इंद्रागांधी नगर सूरजसिंह एएसआई भी मय जाप्ता आ गये। भडकियाखाल में आगे की तरफ जाने पर 8–10 आदमी बड़े पत्थर की आड़ में बैठे दिखे। उनके पास से प्राचीनकालीन पत्थर की मूर्तियां पांच रखी पायी गयी। इनसे पूछताछ करने पर अपना नाम बत्तीलाल बताया जिसके पास सूटकेस मिला जिसमें 57000 / – रूपये मिले। दूसरे ने भरोसीलाल, दुर्गाशंकर, देवकरण, गेंदीलाल, भंवरलाल, बाबूलाल होना बताया। तीन व्यक्ति भागने में सफल हुए। उक्त मूर्तियां चुराई हुई होने पर धारा 102 सीआरपीसी में जप्त की गई। उक्त मुलजिमान को गिरफ्तार किया। वापिस थाने आये। बरामदगी व गिरफ्तारी की सूचना कंट्रोलरूम की मार्फत पूरे राजस्थान में दी गई। फर्द जप्ती उद्योगनगर सत्यप्रति प्रदर्श पी. 5 है। रोजनामचा रपट प्रदर्श पी. 6 है। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि पंखीलाल मौके से भागने में सफल हो गया था, पकड़ने में नहीं आया।

गवाह पी.ड. 6 शिवराजसिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि 26.06.14 को वह थाना नाहरगढ़ पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नं. 460 / 2000 की पत्रावली उसके सुपुर्द की थी जिस पर उसके द्वारा करोली गांव अंगेडी में जाकर मुलजिम पंखीलाल को गिरफ्तार किया था व मुलजिम द्वारा सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम की दी। नक्शामौका तस्दीक घटनास्थल किया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी. 7, सूचना 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी. 8, नक्शामौका प्रदर्श पी. 9 है, जिन पर इसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि गिरफ्तार मुलजिम पंखीलाल ने एक ही सूचना में दोनों घटनास्थल से मूर्तियां चोरी करने की सूचना दी थी। लेकिन उसने दोनों प्रकरणों में अलग–अलग सूचना बनाई है। यह वह नहीं बता सकता कि सूचना प्राप्त करने के बाद घटनास्थल की ताईद करने ग्राम गीगचा गया या ग्राम पीतामपुरा। प्रदर्श पी. 9 नक्शामौका में घटनास्थल ए बिन्दु से चोरी गयी मूर्ति थाना नाहरगढ़ में रखी हुयी थी लेकिन अन्य मूर्तियां चबूतरे पर ही विराजमान थी।

गवाह पी.ड. 7 रूपनारायण ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उनके गांव से शीतलामाता की मूर्तियां चोरी हो गई थी।

(रचना वैष्णव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज जिला बारां(राज0)

गवाह पी.ड. 8 हीराचन्द ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मुकदमा नं0 39 / 2000 का माल मशरूका बरामदगी हेतु एसएस उद्योग नगर कोटा गये थे। वहां 102 जा.फौज. में जप्तशुदा शीतलामाता की दो मूर्तियां मुकदमा हाजा में वांछित होने से जप्त कर थाना नाहरगढ़ लेकर आये थे। फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 8 है जिस पर इसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया कि उसे यह पता नहीं है कि किस अभियुक्त ने सूचना दी थी। सूचना आई.ओ. को दी होगी। मूर्तियां कहां से आयी थी और कौन लाया, यह उसे पता नहीं है। मूर्तियों का हुलिया हमारे प्रकरण से मिलता जुलता था। मूर्तियां पत्थर की थी जिनके एक–एक कोने टूटे हुये थे।

गवाह पी.ड. 9 किरतार अहमद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 15.06.2000 को पुलिस थाना उद्योग नगर कोटा में धारा 102 सीआरपीसी की कार्यवाही के तहत जप्त की गयी दो मूर्तियों को पुलिस थाना नाहरगढ़ को उसके सामने सुपुर्द किया था। जिसकी फर्द प्रदर्श पी. 8 बनायी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 8 में वर्णित मूर्तियां संदिग्ध हालत में होने से उद्योग नगर थाने में लाई गई थी। प्रदर्श पी. 8 की मूर्तियां पुलिस थाना नाहरगढ़ में वांछित होने से उन्हें दी थी।

गवाह पी.ड. 10 नेक मोहम्मद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 14.06.2000 को मुकदमा नं. 39 / 2000 की पत्रावली उसे सुपुर्द की थी। बयान गवाहान के कहेनुसार लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने कहा कि चार मूर्तियां पीतामपुरा के पास जिनमें दो शीतलामाता व दूसरी मूर्ति जो खंडित थी इनको हमने चुराया है और चलकर बरामद करा सकते हैं। इस पर अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना पृथक से बनायी जाकर शामिल पत्रावली की। फर्द सूचना प्रदर्श पी. 5, पी. 6, पी. 7 है। फर्द बरामदगी प्रदर्श पी. 8 है। फर्द शिनाख्तगी प्रदर्श पी. 4 है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी. 3 है। उक्त पर इसके हस्ताक्षर हैं। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि मुलजिमान को अन्य प्रकरण में से एसएचओ साहब द्वारा फोरमल गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकरण में गिरफ्तारी बाद में हुई थी। चोरी गई मूर्तियां शीतलामाता मंदिर ग्राम पीतामपुरा में विराजमान थी। मूर्ति चोरी होने के कितने समय बाद रिपोर्ट हुई, यह वह नहीं बता सकता। एफ. आई.आर देखकर बता सकता है। मूर्तियां उसने बरामद नहीं की थी। 102 सीआरपीसी में पहले से ही मूर्तियां उद्योग नगर थाने में जप्त थी, जहां से इस प्रकरण में जप्त की गई थी। मुलजिम बाबूलाल, भंवरलाल, मथुरालाल की सूचना पर उद्योग नगर थाने कोटा मुलजिमान को साथ लेकर गया था। फर्द जप्ती उद्योग नगर थाने में बैठकर की थी। मूर्तियों की कोई फोटोग्राफी नहीं करवाई। शिनाख्त कार्यवाही कोमलप्रसाद सरपंच से करवाई थी। उसे केवल 102 सीआरपीसी में जप्त फर्द की फोटोकॉपी दी गयी थी। मूर्तियां जप्ती का स्थान फर्द में अंकित है।

गवाह पी.ड. 11 रामप्रसाद ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.03.2000 को एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1 पेश की थी जिस पर उसका पृष्ठांकन व हस्ताक्षर है। मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शामौका पी. 3 बनाया। गवाहान के बयान लेखबद्ध किये। मुलजिमान को जरिये फर्द प्रदर्श पी. 9 लगायत पी. 11 गिरफ्तार किया। सभी पर इसके हस्ताक्षर है। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया कि घटनास्थल हनुमान जी का स्थान है जहां से कौन से देवता की मूर्ति चोरी हुई थी उसे ध्यान नहीं है। फरियादी ने तथा गवाहों ने किसी भी मुलजिम का नाम नहीं बताया था। यह सही है कि उसकी तफ्तीश में किसी मुलजिम का नाम सामने नहीं आया।

गवाह पी.ड. 12 बृजराज सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.11.2000 को मुकदमा नं. 39 / 2000 में दर्ज मुकदमा में अभियुक्तगण के खिलाफ तथा अदम गिरफ्तारी की सूरत में 173–8 सीआरपीसी में प्रमाणित पाये जाने पर सीएस नं. 90 को चाक की जाकर वास्ते समायत न्यायालय में पेश की। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया कि अनुसंधान के पश्चात् चार्जशीट अभियुक्तगण के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में पेश की थी।

अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाहों की साक्ष्य का अभियुक्त पर आरोपित अपराध के संबंध में मूल्यांकन करें तो इस घटना का एफआईआर कर्ता जानकीलाल है जिसने बयान दिये है कि वह रात को हनुमान जी के मंदिर गया था। जब वापिस आ रहा था तो मालूम हुआ कि शीतलामाता की मूर्ति नहीं है। जिसकी उसने रिपोर्ट करायी थी। इस गवाह की

साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि गवाह ने किसी को अपने सामने मूर्तियों की चोरी करते हुये नहीं देखा। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट इस गवाह द्वारा दर्ज की गई, वह नामजद नहीं थी। पत्रावली में जो अन्य गवाह परीक्षित हुए हैं उनमें गवाह पी.ड. 1 नंदकिशोर, पी.ड. 3 हीरालाल आदि के अनुसार पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका बनाया था किन्तु हस्ताक्षर थाने में करवाये थे उसमें क्या लिखा था, यह उन्हें पढ़कर नहीं बताया। इसके अतिरिक्त प्रकरण में चोरी होने वाली मूर्तियों की शिनाख्त की कार्यवाही से संबंधित गवाह को भी न्यायालय में परीक्षित कराया गया जिसमें गवाह पी.ड.4 कोमलप्रसाद ने बयान दिये है कि वह यह नहीं बता सकता कि आर्टीकल–1 की मूर्ति जो कि खंडित है वह भगवान विष्णु की है या शीतलामाता की। जिस समय शिनाख्त कार्यवाही की गयी उस समय थानेदार जी दो मूर्तियां पत्थर की बड़ी–बड़ी लेकर आये थे। मूर्तियां कहां से लाये थे, यह उसे पता नहीं है। मूर्तियां वहां और भी थी, पर बड़ी–बड़ी मूर्तियां दो ही थी। अन्य मूर्तियां छोटी–छोटी कपडे में थी। मूर्तियां खुली अवस्था में देखी थी। कार्यवाही शिनाख्तगी के अन्य गवाह पी.ड. 3 हरिशंकर के अनुसार शिनाख्तगी कार्यवाही प्रदर्श पी. 4 पर उसके हस्ताक्षर थाने में कराये थे। लेकिन ये वो मूर्तियां नहीं थी। पुलिस मूर्तियां कहां से लाई, यह उसे पता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो गवाह परीक्षित हुए हैं उन्होंने भी यही साक्ष्य दी है कि मूर्ति चोरी करते हुए उन्होंने किसी को नहीं देखा।

उक्त संपूर्ण विवेचन के अतिरिक्त इस पत्रावली के घटनाक्रम को देखें तो घटनास्थल से जो मूर्तियां चोरी हुयी थीं उनके बारे में किसी गवाह ने यह साक्ष्य नहीं दी है कि मूर्तियां चोरी करते हुये उन्होंने किसी को देखा था। यह मूर्तियां थाना उद्योग नगर कोटा द्वारा 102 सीआरपीसी में संदिग्ध पाये जाने के कारण बरामद की गयी थी। इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य का अवलोकन करें तो उसने यह स्वीकार किया है कि मूर्तियों की बरामदगी उसने नहीं की। मूर्तियां उसने थाना उद्योग नगर से जप्त की थी। मूर्तियों की उसके द्वारा कोई फोटोग्राफी नहीं कराई गई। ग्राम पंचायत नाहरगढ़ के सरपंच द्वारा शिनाख्त कराई गई थी। जिसमें यह तथ्य विचारणीय है कि उक्त गवाह से किस आधार पर मूर्तियों की शिनाख्त कराई गई जबकि यह गवाह ना ही तो परिवादी है, ना ही मूर्तियों को पूर्व से पहचानता था। इस गवाह ने मूर्तियों को पहचानने के दौरान यह साक्ष्य दी है कि जो मूर्तियां न्यायालय में पेश हुई थी उनमें से आर्टीकल–1 की मूर्ति विष्णु भगवान की है या शीतलामाता की, यह वह नहीं बता सकता। इसके अलावा दूसरी मूर्ति का सिर खंडित होने से भी नहीं बता सकते कि वह किसकी मूर्ति है। शिनाख्त कार्यवाही में अनुसंधान अधिकारी द्वारा जो कमी रखी गई उसमें पहचान कराने वाली मूर्ति के साथ और कौन सी मूर्तियां थी, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं आया है। शिनाख्तगी के गवाह के अनुसार दो बड़ी पत्थर की मूर्तियों के अलावा अन्य छोटी छोटी मूर्तियां जो कपडे में थी। ऐसी स्थिति में उक्त दो मूर्तियों का मिलान अन्य मूर्तियों से नहीं हो पाया, जिसके कारण शिनाख्त कार्यवाही दोषपूर्ण सिद्ध हुई है यहां तक कि बरामदगी का संबंध है, अनुसंधान अधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण से बरामदगी नहीं हुयी थी।

अतः ऐसी स्थिति में जबकि चोरी गयी मूर्तियों की अभियुक्त से न तो बरामदगी होना प्रमाणित हो पाया है और न ही यह तथ्य प्रमाणित हो पाया है कि चोरी गयी मूर्तियां वही मूर्तियां हो जो प्रकरण में पुलिस थाना उधोग नगर कोटा से जप्त की गयी थी एवं सबसे महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि जिन व्यक्तियों को इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिप्त किया गया है वे व्यक्ति वही व्यक्ति हो जिनको फरियादी जानकीलाल द्वारा घटना की रात मन्दिर में देखा गया था। इस बाबत भी किसी प्रकार की अभियुक्त से शिनाख्तगी संबंधी कार्यवाही अनुसंधान अधिकारी द्वारा नहीं करायी गयी है। यह तथ्य भी विचारणीय है कि न तो अभियुक्त द्वारा और न ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा इस तथ्य का कोई खुलासा किया गया है कि उधोग नगर पुलिस थाना द्वारा मूर्तियां किस स्थान से बरामद की गयी थी। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी अभियुक्त से यह नहीं पूछा गया है कि चोरी के उपरांत उसके द्वारा मूर्तियां किस स्थान पर छिपा कर रखी गयी थी। लिहाजा अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त रूप से अभियुक्त के विरूद्ध यह साबित करने में असफल रहा है कि 26.03.2000 की रात्रि को अभियुक्त प्रीतमपुरा में हनुमान जी की छतरी के पास स्थित सीतलामाता की मूर्तियों को बदनियतिपूर्वक चुरा कर ले गया। परिणामस्वरूप अभियुक्त बत्तीलाल पुत्र जोहरीलाल जाति मीणा उम्र 60 साल निवासी खण्डीप थाना वजीरपुर जिला सर्वामाधेपुर राज0 को अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपित अपराध में आरोप में दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य पाती हूं।

(रचना वैष्णव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज जिला बारां(राज0)

रैग्यूलर फौजदारी प्रकरण संख्या :–460 / 2000
राजस्थान राज्य बनाम बाबूलाल वगैरह
अपराध धारा– 379 भा0दं0सं0
निर्णय दिनांकः 13.05.2022

–::आदेश::–

अतः अभियुक्त बत्तीलाल पुत्र जोहरीलाल जाति मीणा उम्र 60 साल निवासी खण्डीप थाना वजीरपुर जिला सर्वामाधेपुर राज0 को अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपित अपराध मे पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त भरोसीलाल मफरूर चल रहा हैं जिसके विरूद्ध कार्यवाही किया जाना अभी शेष है। अतः पत्रावली के सरबरक पर इस आशय का लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि अभियुक्त भरोसीलाल मफरूर है। अतः पत्रावली पत्रावली महफूज रखी जावे तथा उसका कोई भाग जाया नहीं किया जावे।

(रचना वैष्णव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज जिला बारां(राज0)

निर्णय आज दिनांक 13.05.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रचना वैष्णव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
किशनगंज जिला बारां(राज0)